

पत्रांक-5/विविध-31/2008-09-.....232(5)रा0/.

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

फैक्स
ई-मेल
सेवा में,

दीपलाल दीपक,
सरकार के अवर सचिव।

समाहर्ता,
पटना/बक्सर/कैमूर/गया/जहानाबाद/वैशाली/
सारण/सिवान/भागलपुर/मुंगेर/बेगुसाराय/खगड़िया/
जमुई/मधुबनी/सहरसा/सुपौल/पूर्णिया/
कटिहार एवं अररिया।

पटना-15, दिनांक :- 31/12/2015


विषय:- दिनांक-31.03.2009 तक शीर्ष-N2029001040001 के अंतर्गत असमायोजित अभिश्रवों के समायोजन हेतु वित्तीय वर्ष 2010-11 में कुल 11,86,92,000/- (ग्यारह करोड़ छियासी लाख बेरानवे हजार) रूपया मात्र आवंटित राशि के विरुद्ध उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय

उपर्युक्त विषयक विभागीय आवंटन आदेश सं0-18(5)/रा0 दिनांक-26.08.2010 स्मार पत्र संख्या-137(5)/रा0 दिनांक-25.08.2015, पत्र संख्या-145 (5)/रा0 दिनांक-10.09.2015, 162(5)/रा0 दिनांक-30.09.2015, पत्र संख्या-195(5)/रा0 दिनांक-04.11.2015 एवं पत्र संख्या-209 (5)/रा0 दिनांक-02.12.2015 के संदर्भ में कहना है कि असमायोजित अभिश्रवों को समायोजित करने हेतु वांछित राशि आवंटित किया गया था, जिसका उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं है, मामला अधिकाई व्यय से सम्बंधित है।

अतः अनुरोध है कि आवंटित राशि के विरुद्ध उपयोगिता प्रमाण पत्र अविलम्ब उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,


30/12/15
(दीपलाल दीपक),
सरकार के अवर सचिव।
21/12/15